



# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024  
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब0/ 41 /2021

दिनांक: 07 /01 /2021

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य (प्रबन्ध समिति),  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
सम्बद्ध-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,  
कानपुर।

विषय: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 के अधिनियम सं0-42 वर्ष 2018 के क्रम में विभिन्न कॉलेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में जारी परिपत्र के पुनः संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: 29/कुलसचिव/2021 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: प001/अ0बि0व0चि0वि0/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा अधिनियम सं0-42 सन् 2018 के अन्तर्गत लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कॉलेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 07.01.2021 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.abvmuup.edu.in](http://www.abvmuup.edu.in) पर अवलोकनीय है।

अतः उक्त का संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

डॉ.(अनिल कुमार यादव)

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुल सचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर/ लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुल सचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ.(अनिल कुमार यादव)

कुल सचिव



# अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक: २९ /कुल सचिव/2021

दिनांक: ०७-०१-२०२१

सेवा में,

समस्त कुल सचिव,  
उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय।

14  
21-2021

**विषय:- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० के अधिनियम सं०-४२ वर्ष २०१८ के क्रम में विभिन्न कॉलेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में जारी परिपत्र के पुनः संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।**

महोदय,

कृपया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा जारी प्रपत्र सं०-प००१/अ०बि०व०चि०वि०/२०२० दिनांक १७ दिसम्बर, २०२० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० शासन द्वारा अधिनियम सं०-४२ सन् २०१८ के माध्यम से लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कॉलेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, अधिनियम दिनांक १५ अक्टूबर, २०२० से प्रभावी है। यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ को संन्दर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित उक्त अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेब-साइट [www.abvmuup.edu.in](http://www.abvmuup.edu.in) पर अवलोकनीय है।

अतः उक्त संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा दिनांक १७ दिसम्बर, २०२० को जारी किये गये परिपत्र की प्रति, जो आपको पूर्व में भी प्रेषित की गयी थी, पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए सादर अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)

१९ रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल जी, राजभवन, लखनऊ।

2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. कुलपति, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. कुलपति/निदेशक/प्राचार्य/प्रबन्धक, राजकीय/निजी/ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/ समस्त कॉलेज और संस्थाए, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, कुलपति जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

de  
रजिस्ट्रार  
07.01.2021





# अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

पत्रांक: ५०२१/अ०बि०वा०चि०वि०/२०२०

दिनांक १७ दिसम्बर, २०२०

## परिपत्र

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अधिनियम २०१८ दिनांक २२ दिसम्बर, २०१८ को अधिसूचित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या १६२३/७१-४-२०२०-जी-१३७/२०१८ दिनांक १३ अक्टूबर २०२० के द्वारा दिनांक १५ अक्टूबर २०२० से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ प्रभावी है। अधिनियम की धारा-१ की उपधारा (२), धारा ५, ६ एवं धारा ७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत "राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अग्निभावी होंगे", उपधारा (२) "उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान या दन्त विज्ञान अथवा परिचर्या तथा पराचिकित्सा शाखाओं में उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कालेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा", उपधारा (३) "राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कालेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार, ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा", उपधारा (४) "नियत दिनांक को और से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ या उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा या शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के समस्त कालेज और संस्थायें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे", अधिनियम के "उद्देश्य और कारण" के प्रस्तर-२ (ख) "सरकारी और साथ-ही-साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना", तथा अधिनियम की धारा २८, २९, ३० जो "कालेजों की सम्बद्धता और मान्यता" की स्पष्टता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, अधिनियम दिनांक १५ अक्टूबर २०२० से प्रभावी है। यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित उक्त अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.abvmuup.edu.in](http://www.abvmuup.edu.in) पर अवलोकनीय है।

(डा० अरुण कुमार सिंह)  
कुलपति

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर मुख्य सचिव श्रीराज्यपालजी, राजभवन, लखनऊ।
२. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
४. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
५. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
६. कुलपति, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ-२२६००३
७. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-११००२९
८. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-२२६०१४
९. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०
१०. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
११. कुलपति, शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
१२. कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

